

# लोगों की शिकायतों के निवारण की सुदृढ़ कार्य प्रणाली विकसित करने तथा एक निश्चित समय सीमा के अन्दर परिसाद के निष्पादन हेतु बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम 5 जून, 2016 से लागू

## क्या यह अधिकार

के प्रयोग हेतु जाने के परन्तु एक निश्चित समय-सीमा के अन्दर सुनवाई एवं उसके निवारण का अधिकार पर सुनवाई में किसी भी प्रकार के बाधों से सुनिश्चित प्राप्ति करने का अधिकार है।

## परिसाद कौन दायर कर सकता है ?

कोई भी आम नागरिक या न्यायिकों का समूह

## परिसाद किन विषयों पर दायर किया जा रहा है ?

राज्य सरकार द्वारा राज्य में चलाने जा रही किसी योजना, कार्यक्रम या सेवा के संबंध में कोई परिसाद या अनुचित मानने के लिए, या ऐसा परिसाद या अनुचित प्रस्ताव करने में निरक्षमता या विफलता के संबंध में या किसी अन्य प्राधिकार के कृत्य/कृत्य में निरक्षमता से, या उसके द्वारा राज्य में प्रचलित किसी विधि, नीति, सेवा, कार्यक्रम या योजना के अन्तर्गत से उदभूत किसी मामले के संबंध में

## परिसाद कहाँ दायर किया

परिसाद अनुसूचीक अथवा शिकायत निवारण प्राधिकारिक निवेदन लोक शिकायत प्राधिकार के द्वारा राज्य लोक शिकायत प्राधिकार को प्राप्त करने जा सकते हैं।

## परिसाद कैसे दायर किये जायेंगे

कोई भी व्यक्ति, जो अधिनियम के अर्धीन सुनवाई और उसके निवारण का अधिकार है, अपने-1 अथवा आठों परिसाद में अपना नाम, पता, पतेवाइल/संपर्क संख्या, ई-मेल, आचार कड संख्या और परिसाद की विविधता का उल्लेख करते हुए लोक शिकायत निवारण प्राधिकार को परिसाद प्रस्तुत करेगा किन्तु गोपनीय/कोम संख्या, ई-मेल एवं आचार कड संख्या का उल्लेख करते अतिव्याप नहीं होगा। परिसाद अलग-अलग अथवा ऑन-लाइन भी दायर किया जा सकता है।